1️⃣ What is Offer? Explain its essentials with case laws.

(प्रश्न 1: प्रस्ताव क्या है? इसके आवश्यक तत्वों को उदाहरण सहित समझाइए।)

English Answer:
According to Section 2(a) of the Indian Contract Act, 1872 –
"When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that other, he is said to make a proposal."

Essentials of a valid offer:

1. It must be made to another person.
2. It must show willingness to do or abstain from doing something.
3. It must intend to obtain the other's assent.
4. It must be communicated.
5. It must not be made in jest.

Case Laws:

- *Lalman Shukla v. Gauri Dutt (1913)* – Offer must be communicated.
- *Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. (1893)* – General offer can be accepted by anyone who performs the condition.

Hindi Answer:
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(क) के अनुसार –
"जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी इस इच्छा का संकेत देता है कि वह कुछ करेगा या करने से बचेगा ताकि दूसरा व्यक्ति उसकी स्वीकृति दे, तो इसे प्रस्ताव कहा जाता है।"

प्रस्ताव के आवश्यक तत्व:

1. यह किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।
2. यह किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा दिखाए।
3. यह दूसरे की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से हो।
4. यह संप्रेषित किया जाना चाहिए।
5. यह मजाक में नहीं होना चाहिए।

न्यायिक उदाहरण:

- *लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त (1913)* – प्रस्ताव का संप्रेषण आवश्यक है।
- *कारलिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी (1893)* – सामान्य प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

2️⃣ What is Acceptance? Explain the legal rules regarding valid acceptance.

(प्रश्न 2: स्वीकृति क्या है? वैध स्वीकृति के नियम समझाइए।)

English Answer:
Section 2(b) of the Indian Contract Act defines acceptance as:
"When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted."

Legal rules for valid acceptance:

1. Acceptance must be absolute and unqualified.
2. It must be communicated.
3. It must be given within the prescribed time.
4. It must be made before the offer lapses.
5. It must be made by the person to whom the offer was made.

Case Law: *Hyde v. Wrench (1840)* – Counter offer destroys the original offer.

Hindi Answer:
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(ख) के अनुसार –
"जब प्रस्ताव जिसे दिया गया है, वह व्यक्ति अपनी सहमति प्रकट करता है, तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है।"

वैध स्वीकृति के नियम:

1. स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए।
2. यह संप्रेषित की जानी चाहिए।
3. यह निर्धारित समय के भीतर दी जानी चाहिए।
4. यह प्रस्ताव समाप्त होने से पहले होनी चाहिए।
5. यह उसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव दिया गया है।

न्यायिक उदाहरण: *हाइड बनाम रेंच (1840)* – प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है।

3️⃣ What is Free Consent? Explain its importance in contract formation.

(प्रश्न 3: मुक्त सहमति क्या है? अनुबंध निर्माण में इसका महत्व समझाइए।)

English Answer:
According to Section 13, consent is said to be free when it is not caused by:

1. Coercion (Section 15)
2. Undue influence (Section 16)
3. Fraud (Section 17)
4. Misrepresentation (Section 18)
5. Mistake (Sections 20–22)

If consent is not free, the contract is voidable.
Case Law: *Ranganayakamma v. Alwar Setti (1889)* – Consent obtained under pressure is not free.

Hindi Answer:
धारा 13 के अनुसार, सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब यह निम्न कारणों से उत्पन्न न हुई हो –

1. दबाव (धारा 15)
2. अनुचित प्रभाव (धारा 16)
3. कपट (धारा 17)
4. मिथ्या प्रतिवेदन (धारा 18)
5. भूल (धारा 20–22)

यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है, तो अनुबंध अमान्य (voidable) हो जाता है।
न्यायिक उदाहरण: *रंगनायकम्मा बनाम अलवर सेट्टी (1889)* – दबाव में दी गई सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती।

4️⃣ What are the essentials of a valid contract?

(प्रश्न 4: वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं?)

English Answer:
Section 10 of the Indian Contract Act states:
"All agreements are contracts if made by free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and lawful object, and not hereby expressly declared to be void."

Essentials:

1. Offer and acceptance
2. Intention to create legal relationship
3. Lawful consideration
4. Capacity of parties
5. Free consent
6. Lawful object
7. Not declared void
8. Certainty and possibility of performance

Hindi Answer:
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार –
"सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे स्वतंत्र सहमति से, सक्षम पक्षों के बीच, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के साथ किए गए हों और जिन्हें अमान्य घोषित न किया गया हो।"

वैध अनुबंध के तत्व:

1. प्रस्ताव और स्वीकृति
2. कानूनी संबंध बनाने की मंशा
3. वैध प्रतिफल
4. पक्षों की योग्यता
5. मुक्त सहमति
6. वैध उद्देश्य
7. अमान्य न होना
8. निश्चितता और पालन की संभावना

---

5 Explain the Doctrine of Consideration with exceptions.

(प्रश्न 5: प्रतिफल के सिद्धांत को अपवादों सहित समझाइए।)

English Answer:
Section 2(d) defines consideration as:
"When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, such act or abstinence is called consideration."

Essentials:

1. Must move at the desire of promisor.
2. May move from promisee or any other person.
3. May be past, present, or future.

Exceptions (Section 25):

1. Agreement made on account of natural love and affection (written and registered).
2. Compensation for past voluntary services.
3. Promise to pay a time-barred debt.

Case Law: *Chinnayya v. Ramayya (1882)* – Consideration may move from a third party.

Hindi Answer:
धारा 2(ड) के अनुसार –
"जब वादाकर्ता की इच्छा से वादाप्राप्तकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है या करने से बचता है, तो वह कार्य या विरति प्रतिफल कहलाती है।"

प्रतिफल के तत्व:

1. यह वादाकर्ता की इच्छा से होना चाहिए।
2. यह वादाप्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से आ सकता है।
3. यह भूत, वर्तमान या भविष्य का हो सकता है।

अपवाद (धारा 25):

1. स्वाभाविक प्रेम और स्नेह पर आधारित समझौता (लिखित व पंजीकृत)।
2. पूर्व में की गई स्वैच्छिक सेवा के लिए प्रतिपूर्ति।
3. समय-सीमा समाप्त ऋण के भुगतान का वादा।

न्यायिक उदाहरण: *चिन्नैया बनाम रामैया (1882)* – प्रतिफल किसी तीसरे व्यक्ति से भी आ सकता है।